दिनांकः 17.11.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस एवं PCPNDT की संयुक्त टीम द्वारा फर्जी तरीके से बिना लाईसेंस अल्ट्रासाऊण्ड व लिंग परीक्षण करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अल्ट्रासाऊण्ड मशीन, 49500/- रूपये, 02 मोबाईल, 01 आईपैड व अल्ट्रासाऊण्ड जैल बरामद ।

बरामदगीः-

- **01 वायरलैस अल्ट्रासाउण्ड मशीन**
- **01 आईपैड एप्पल कम्पनी**
- **हरा ढक्कन लगी 01 शीशी में अल्ट्रासाउण्ड जैल व दूसरी छोटी शीशी में अल्ट्रासाउण्ड जैल**
- **02 मोबाईल फोन सैमसंग कम्पनी एम 52 व मोबाईल फोन सैमसंग एस 23 अल्ट्रा**
- **पॉच-पॉच सौ के निन्यानवे नोट कुल 49500/- रू**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे, पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा श्री प्रवेश सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार के कुशल नेतृत्व मे गठित पुलिस व PCPNDT की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 16.11.2023 को मुखबिर की सूचना पर पंजाबी बाग स्थित मकान में अवैध रूप से लिंग परीक्षण करते हुए 02 अभियुक्तगण- **1. सचिन पुत्र ऊधम सिंह निवासी ग्राम जुखेडी थाना गंगोह जिला सहारनपुर, 2. रोकी पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम जैहरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से एक वायरलैस अल्ट्रासाउण्ड मशीन तथा एक आईपैड एप्पल कम्पनी तथा हरा ढक्कन लगी एक शीशी में अल्ट्रासाउण्ड जैल व दूसरी छोटी शीशी में अल्ट्रासाउण्ड जैल व एक मोबाईल फोन सैमसंग कम्पनी एम 52 व मोबाईल फोन सैमसंग एस 23 अल्ट्रा तथा पॉच-पॉच सौ के निन्यानवे नोट कुल 49500/- रू बरामद हुई इस संम्बन्ध मे थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 493 /23 धारा 420/120 भादवि व 22/23 गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकि (लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994) पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण को मान0 न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा एक स्वर में बताया गया कि हम दोनों व हमारा साथी जो अलग अलग अल्ट्रासाऊण्ड सैन्टर पर गर्भवती महिलाये जो अपना अल्ट्रासाऊण्ड कराने आती हैं से उनकी जानकारी कर हमे देता है। वह भी इस पूरे आपराधिक षडयंन्त्र मे हमारे साथ रहता है। हम तीनो मिलकर इस वायरलैस अल्ट्रासाउण्ड मशीन व

आईपैड का प्रयोग कर गर्भवती महिलाओ का भ्रूण परीक्षण कर पेट में लडका है या लडकी की जॉच कर बताते है तथा एक जाँच के आठ से दस हजार रू0 लेते हैं। डाक्टरो द्वारा मौके पर ही बरामद वायरलैस अल्ट्रासाउण्ड मशीन व आईपैड का निरीक्षण कर चालू हालत मे होना बताया । पकडे गए व्यक्तियो से पुलिस टीम व डाक्टरों की टीम द्वारा इनसे इनके अल्ट्रसाउण्ड करने के डिप्लोमा /डिग्री के बारे मे पूछ गया तो कोई भी डिग्री डिप्लोमा नहीं दिखा सके। अभियुक्तगण ने बताया कि हम पैसो के लालच में हम दोनों धोखा धडी से षडयंत्र रचकर कई वर्षों से इस गैरकानूनी काम को करते है। हमसे थैलै में मिले कुल 49500 रू/ हैं जो हमने अवैध भ्रूण /लिंग परीक्षण करके ही कमाये है। अभियुक्त सचिन उपरोक्त ने पूछताछ मे बताया कि वह पूर्व मे भी लिंग परीक्षण के अपराध मे थाना लाडवा जनपद कुरुक्षेत्र हरियाणा से जेल जा चुका है।

<u>अभियुक्त का नाम पताः-</u>

1.सचिन पुत्र ऊधम सिंह निवासी ग्राम जुखेडी थाना गंगोह जिला सहारनपुर, उम्र-27 वर्ष, शिक्षा- इण्टर
2.रोकी पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम जैहरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर , उम्र-26 वर्ष, शिक्षा- बीएससी (एजी)

<u>अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-</u>

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त सचिन उपरोक्तः-</u>

मु0अ0सं0 313/16 धारा 420/120 बी व 3/4/5/22/23 PCPNDT एक्ट थाना लाडवा, कुरूक्षेत्र हरियाणा

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रोकी उपरोक्तः- निल

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम के नामः-</u>

1.उ0नि0श्री धीरज सिंह थाना सदर बाजार सहारनपुर ।
2. का0 186 विमल थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. का0 2546 नवीत थाना सदर बाजार सहारनपुर।
4. म0का0 1027 वन्दना थाना सदर बाजार सहारनपुर।
5. म0का0 271 मिनाक्षी सुमित कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।

<u>PCPNDT की टीमः-</u>

1. डीप्टी सीएमो डॉ0 कुनाण जैन जनपद सहारनपुर
2. डॉ0 ओमप्रकाश (नोडल पी0सी0एन0डी0टी) जनपद सहारनपुर
3. डॉ0 गजेन्द्र (रेडियोलोजिस्ट) जनपद सहाहनपुर
4. श्रीमती आशा (डाटा ऑपरेटर) जनपद सहारनपुर
5. नदीम अखलाक (पटल सहायक) जनपद सहारनपुर .

दिनांकः 17.11.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री विशाल श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.11.23 को थाना बडगांव पुलिस द्वारा 01 **वारण्टी अभियुक्त वितु उर्फ अमित पुत्र अतरसिंह नि0 ग्राम शिमलाना थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 1482/23 धारा- 125(3) सीआरपीसी को कारण गिरफ्तारी बताते हुए चिराऊ ईंट भट्टे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1- वितु उर्फ अमित पुत्र अतरसिंह नि0 ग्राम शिमलाना थाना बडगांव जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1. उ0नि0 श्री विजयपाल सिंह थाना बड़गांव जनपद सहारनपुर।
2. का0 2378 सन्नी कुमार थाना बड़गांव जनपद सहारनपुर।
3. का0 2270 पूरन यादव थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 17-11-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नागल, सहारनपुर पुलिस द्वारा नकबजनी का 01 वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गया सामान 02 म्यूजिक सिस्टम, कार का 01 सेल्फ एवं 760/- रूपये बरामद ।

अवगत कराना है कि दिनाँक 27.10.2023 को वादी श्री नईम पुत्र उस्मान निवासी ग्राम उमाही थाना नागल सहारनपुर द्वारा बावत कार वर्कशाँप की दुकान की दीवार तोडकर सामान चोरी कर कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना नागल पर मु0अ0स0 276/23 धारा 457/380भादवि बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन मे अपराधो की रोकथाम व वाँछित/वारण्टी अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी नांगल श्रीमती कुसुम भाटी के कुशल नेतृत्व मे थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा साधारण सिर तिराहे पर चैकिंग के दौरान अभियुक्त विशाल पुत्र बिट्टू त्यागी निवासी दंघेडा थाना नांगल जिला सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 02 अदद म्यूजिक सिस्टम, एक अदद कार का सेल्फ एवं 760/- रूपये सम्बन्धित मु0अ0स0 276/23 धारा 457/380/411 भादवि बरामद हुए हैं। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त विशाल उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान बताया गया कि दिनाँक 27.10.2023 को मै अपने साथी प्रशान्त उर्फ सानू उर्फ सोनू पुत्र प्रवीण के साथ मिलकर एमएलडी स्कूल के सामने नागल मे एक कार वर्कशाप दीवार तोडकर चोरी की थी। आज मुझसे जो सामान बरामद हुआ था। यह सामान उसी चोरी से सम्बन्धित है। हम लोग चोरी के सामान को बेचकर आधे आधे पैसे बाँट लेते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

विशाल पुत्र बिट्टू त्यागी निवासी दंघेडा थाना नांगल जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्रीमती कुसुम भाटी थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 रविन्द्र नागर थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. है0का0 389 जितेन्द्र कुमार थाना नांगल सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

02 म्यूजिक सिस्टम व 01 कार का सेल्फ एवं 760/- रूपये

आपराधिक इतिहास अभियुक्त विशाल उपरोक्तः-

1. मु0अ0सं0 59/23 धारा 295/380/427/511 थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 162/23 धारा 379 भादवि थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 93/23 धारा 457/380 भादवि थाना नांगल
4. मु0अ0सं0 276/23 धारा 457/380/411 भादवि थाना नांगल

दिनांक: 17-11-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर ,सहारनपुर पुलिस द्वारा मुकदमे में वांछित अभियुक्त (अपने माता पिता के साथ मारपीट करने वाला) किया गया गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा वाँछित/वारन्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम, सहारनपुर के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 15.11.2023 को थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0स0 201/23 धारा 323/325/504 भादवि बनाम **अभियुक्त खिजर आलम पुत्र खुर्शीद आलम निवासी मौ0 छिपियान थाना कोतवाली नगर जनपद स0पुर** बाबत अपने माता-पिता के साथ मारपीट करने के सम्बन्ध मे पंजीकृत मुकदमे में वांछित अभियुक्त खिजर आलम उपरोक्त को आज दिनांक 17.11.23 को मौ0 छिपियान से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. खिजर आलम पुत्र खुर्शीद आलम निवासी मौ0 छिपियान थाना कोतवाली नगर जनपद स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. निरीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा को0नगर सहारनपुर
2. उ0नि0 विपिन कुमार को0नगर सहारनपुर
3. है0का0 356 नीरज कुमार थाना को0नगर सहारनपुर

दिनांक: 17-11-2023

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश</u>

<u>थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।</u>

अवगत कराना है कि दिनांक 16.11.23 को वादी की तहरीरी सूचना बावत विपक्षी द्वारा वादी के घर मे घुसकर वादी की नाबालिक पुत्री के साथ दुष्कर्म कर वादी व वादी की पुत्री को जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे के आधार पर थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 404/23 धारा 452/376/506 भा0द0वि0 व 3/4 पोक्सो अधिनियम व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट बनाम विजय कुमार पुत्र ओमपाल जाति (कश्यप) निवासी मौ0 गुहा कस्बा अम्बेहटापीर थाना नकुड जनपद सहारनपुर पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिये गये। निर्देशो के अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 17/11/23 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त मे वांछित **अभि0 विजय कुमार पुत्र ओमपाल जाति (कश्यप) निवासी मौ0 गुहा कस्बा अम्बेहटापीर थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को गैलेक्सी गार्डन अम्बेहटापीर थाना नकुड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त पर मुकदमा उपरोक्त के अलावा अन्य कोई अभियोग पंजीकृत नही है। अभि0 के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभि0 विजय उपरोक्त ने बताया कि मैं मौ0 गुहा कस्बा अम्बेहटापीर का रहने वाला हूँ। हमारे गांव की लडकी से व उसके भाई से मेरी जान पहचान होने के कारण मैं उनके घर पर आता जाता रहता था। उनके घर की दीवार छोटी है और अन्दर कमरो मे दरवाजे भी नही है। वह लडकी मुझे अच्छी लगती थी। दिनांक 14.11.23 को मुझे पता लगा था कि लडकी का भाई घर पर नही है। इसलिये मैं दिनांक 14/15.11.23 की रात्री मे लडकी के घर की दीवार कूद कर घर मे घुस गया था और लडकी एक कमरे मे अकेली सो रही थी तो मैने लडकी का मुंह हाथ से भींच कर लडकी को उठाकर दूसरे कमरे मे ले जाकर लडकी के साथ गलत काम किया था। लडकी चिल्लाने लगी थी तो मै उसे डरा धमकाकर घर की दीवार कूद कर वापस अपने घर आ गया था। लडकी के घर से आते समय मेरा मोबाईल उसके घर पर गिर गया। घटना के समय मैने जो कपड़े पहन रखे थे उसमे से लाल रंग की टीशर्ट मैने आज भी पहन रखी है तथा लोवर मेरे घर पर रखा है जो मैने धो दिया था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

विजय कुमार पुत्र ओमपाल जाति (कश्यप) निवासी मौ0 गुहा कस्बा अम्बेहटापीर थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

<u>अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जसवीर सिंह थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सन्दीप अधाना थाना नकुड जनपद सहारनपुर
3. का0 71 ब्रजवीर राणा थाना नकुड जनपद सहारनपुर
4. का0 2555 राहुल कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 17.11.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 LCD , 01 छोटा गैस सिलेण्डर , 01 बडा गैस सिलेण्डर व 01 छोटा गैस चूल्हा मय पाइप बरामद

- **01 एल.सी.डी KYUUTEN-LCD-204**
- **01 गैस सिलेण्डर 05 क्रि0ग्रा0**
- **01 बडा गैस सिलेण्डर 15 क्रि0ग्रा0 इण्डेन कम्पनी**
- **01 छोटा गैस चूल्हा मय पाइप**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में , पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय सहारनपुर के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवेश सिंह थाना सदर बाजार के कुशल नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 17.11.2023 को दौराने चेंकिग/ गस्त काजीपुरा से **अभियुक्तगण 1. कुवर उर्फ विशाल पुत्र बबलू नि0 बाल्मिकी बस्ती खलासी लाइन जिला सहारनपुर, 2. नदीम पुत्र बाबूखां नि0 काजीपुरा थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया । जिनके कब्जे से 01 LED ,01 छोटा गैस सिलेण्डर, 01 बडा गैस सिलेण्डर व 01 छोटा गैस चूल्हा मय पाइप बरामद हुआ। बरामद माल थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 494/2023 धारा 380/411 भादवि से सम्बन्धित है । अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय में समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ का विवरण...

गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा एक स्वर में बताया गया कि हम दोनों नशे के आदी है नशे आदि के खर्चे के लिए चोरी करते हैं रात को भी हमने एक बन्द मकान से चोरी की थी चोरी करके हम जा रहे थे पुलिस ने हमे पकड़ लिया।

अभियुक्त का नाम पताः-

1- कुवर उर्फ विशाल पुत्र बबलू नि. वाल्मिकी वस्ती खलासी लाइन जिला सहारनपुर
2- नदीम पुत्र बाबूखां नि. काजीपुरा थान सदर बाजार जनपद सहारनपुर

अभियुक्त कुवंर उर्फ विशाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1- मु0अ0सं0 269/23 धारा 380/411/457/506 भादवि थाना सदर बाजार
2- मु0अ0सं0 320/22 धारा 379/411 भादवि थाना कुतुबशेर
3- मु0अ0सं078/22 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना कुतुबशेर

अभियुक्त नदीम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1- 1.मु0अ0सं0 266/22 धारा 380/411 भादवि थाना रामपुर मनि0
2- मु0अ0सं0 268/22 धारा 379/411 भादवि थाना रामपुर मनि0
3- मु0अ0सं0 320/21 धारा 379/411 भादवि थाना रामपुर मनि0

दिनांकः 17.11.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहानरपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 25.8.23 को वादी श्री राजेश कुमार पुत्र पल्टूराम नि. ग्राम मवीखुर्द थाना सदर बाजार सहारनपुर द्वारा लिखित तहरीर बाबत ज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी पुत्री को बात करने को कहना , बात न करने पर वादी व वादी की पुत्री को जान से मारने की धमकी देना जिससे से आहत होकर वादी की पुत्री द्वारा आत्महत्या कर लेने के सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0स0 374/23 धारा 306/506 भादवि बनाम 02 ज्ञात अभियुक्त पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे वांछित/वारण्टी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवेश सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 17.11.23 को मुखबिर की सूचना पर काशीराम बस स्टैण्ड के पास से अभि0 **रितिक वर्मन पुत्र भरत सिंह ग्राम वाजिदपुर थाना नागल सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया।। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछः- अभियुक्त से पूछताछ पर अभियुक्त रितिक ने अपने वयान वकील के जरिये माननीय न्यायालय मे देना वताया.।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम व पता :-

रितिक वर्मन पुत्र भरत सिंह ग्राम वाजिदपुर थाना नागल जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम :-

1. उ0नि0 देवेन्द्र अधाना थाना सदर बाजार स0पुर
2. का0 215 सुमित थाना सदर बाजार स0पुर
3. का0 1808 आशीष थाना सदर बाजार स0पुर

दिनांक: 17-11-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 500 ग्राम नाजायज चरस बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में नशीले पदार्थों की बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 16.11.2023 को **अभियुक्त अश्वनी पुत्र सुरेन्द्र कुमार निवासी मौहल्ला जाटवनगर धर्मशाला के पास थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को रत्नाखेडी पुल के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 500 ग्राम नाजायज चरस बरामद हुई । बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर अभियुक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 323/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ का विवरणः-

पकडे गये अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मै नशे का आदी हूँ तथा पैसा कमाने के लिये लिये चोरी छिपे नशा सामग्री बेचने का काम करता हूँ आज मैं चरस बेचने निकला था कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अश्वनी पुत्र सुरेन्द्र कुमार निवासी मौहल्ला जाटवनगर धर्मशाला के पास थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

500 ग्राम नाजायज चरस बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1- प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2- उ0नि0 श्री अजब सिह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3- का0 1913 राजन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
4- का0 2175 गोपाल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

दिनांकः 17-11-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा थाना सरसावा के गैंगस्टर एक्ट के अभियोग मे अवैध नशे के कारोबार मे लिप्त अपराधी द्वारा अपराध से अर्जित की गयी क्रेटा कार अनुमानित मूल्य 7,90,000/- रूपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट मे किया गया जब्त ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन मे जनपद मे अभियुक्तगण द्वारा अपराध कर अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति को जब्त करने हेतु लगातार कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में गैंगस्टर अधिनियम के अभियोगो मे सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत तहसीलदार श्री राधेश्याम शर्मा एवं प्रभारी निरीक्षक श्री जसवीर सिहं थाना नकुड द्वारा मय फोर्स के आज दिनांक 17.11.23 को अवैध नशे के कारोबार मे लिप्त गैंगस्टर अपराधी **शराफत अली पुत्र हनीफ नि0 मौ0 मौहम्मद गौरी कस्बा व थाना गंगोह स0पुर** सम्बन्धित थाना सरसावा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 353/22 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में अपराध कारित कर अर्जित की गयी सम्पत्ति क्रेटा कार रजि0 नं0 UP17R 8388 चैसिस नं0MALC181ULKM636543 इन्जन नं0 D4FBKM879640 अनुमानित मुल्य 7,90,000 रूपये (सात लाख नब्बे हजार रूपये) को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय जनपद सहारनपुर के आदेश वाद सं0 01/2023 के अनुपालन मे धारा 14(1) गैंगस्टर अधि0 के अन्तर्गत जब्त किया गया।

धारा 14(1) गैंगस्टर अधि0 के अन्तर्गत जब्त की गयी सम्पत्ति का विवरणः-

क्रेटा कार रजि0 नं0 UP17R 8388 चैसिस नं0MALC181ULKM636543 इन्जन नं0 D4FBKM879640 अनुमानित मुल्य 7,90,000 रूपये सात लाख नब्बे हजार रूपये

सम्पत्ति जब्तीकरण करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. श्री राधेश्याम शर्मा तहसीलदार नकुड सहारनपुर
2. प्र0नि0 श्री श्री जसवीर सिहं थाना नकुड़ सहारनपुर
3. व0उप निरी0 श्री राजकुमार थाना नकुड़ सहारनपुर
4. है0का0 363 जितेन्द्र कुमार थाना नकुड़ सहारनपुर
5. का0 202 विवेक धामा थाना नकुड़ सहारनपुर